न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

अनवान कमल कुमार बनाम सरकार व अन्य

प्रकरण का प्रकार 225 आरटीएक्ट क्रमांक 172 सन 2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
24.07.2023	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा पेश किया कि अपीलाण्ट व अन्य रेस्पोडेण्ट ने कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कर रहे हैं तथा इसके साथ धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र पेश कर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट को रोही मौजा कस्बा नोहर के खाता सं0 37/32 के खसरा नं. 191/235 की 0.4430 है0 कृषि भूमि पर किसी प्रकार का बेचान/रहन/प्लाट/दुकान के रूप में न बेचान न करे। विचारण न्यायालय का उक्त आदेश कतई गलत एकपक्षीय है। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट व अन्य रेस्पोडेण्टस के कब्जा में चली आ रही है तथा नेता व भूमाफिया की उक्त भूमि पर नजर होने के कारण माननीय हाई कोर्ट जोधपुर से उक्त भूमि की सुरक्षा चाही गयी है तथा उक्त भूमि की सुरक्षा हेतु रिट माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में पेश की गई जिसके द्वारा सुरक्षा देने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश भी जारी किये है जिसकी सुचना रेस्पोडेण्ट सं0 1 को है तथा रेस्पो0 सं0 1 भूमाफिया से मिला हुआ है तथा उसने पूर्व में भूमि पर कब्जा करवाने की कौशिश की थी तो अपीलाण्ट व अन्य ने पुलिस प्रशासन व अन्य अधिकारियों से मिलकर भूमिमाफिया व रेस्पोडेण्ट सं0 1 को पाबन्द करवाया था अपीलाण्ट व अन्य की खातेदारी भूमि में नियमानुसार रेस्पोडेण्ट किसी प्रकार का स्थगन जारी करवाने पाने का अधिकारी नहीं है। अपीलकृत आदेश बिना पत्रावली में प्रसतुत दसतवेज का अवलोकन किये ही पारित किया तथा हल्का पटवारी की फर्जी रिपोर्ट व अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में की गई रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है मौका पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया गया है। अपील में भी दस्तावेज पेश किये गये हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे 2021 (2) रेवन्यू	

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ़

पेज 1008, डीएनजे 2021 (2) रेवेन्यू पेज 922, डीएनजे 2021 (2) पेज 1061, डीएनजे 2021 (1) पेज 1, सीसीसी 2010 (3) इलाहाबाद पेज 728, डीएनजे 2022 (2) रेवेन्यू पेज 1534, डीएनजे 2015 (1) राज0 पेज 81, डीएनजे 2021 (2) रेवेन्यू पेज 1381, आरआरटी 2014 (1) पेज 265 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाण्ट ने अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील पेश की है। विचारण न्यायलाय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय पारित किया गया है। अपील में प्रस्तुत किये है जिनके अनुसार एस.डी.ओ. नोहर में बअनवानी बृजबिहारी आदि बनाम राजस्थान सरकार वाद सं0 305 सन् 1997 पेश हुआ जिसका निर्णय दिनांक 07.01.1996 को किया गया व वाद खारिज किया गया जिसकी प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमागनढ, बाद में माननीय राजस्व मण्डल अजमरे एवं उसके बाद माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत की गई अंतिम रूप से माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नोहर में नियमित वाद 19/1998 बअनवानी राजस्थान सरकार बनाम इन्द्रकुमार आदि पेश किया गया जिसमें साक्ष्य, तनकीया व दस्तावेज के आधार पर वाद खारिज किया गया व अपीलाण्ट व अन्य की खातेदारी मानी गई तत्पश्चात् अपर जिला एवं सैशन न्यायालय नोहर के निर्णय के विरूद्ध स्टेट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में पेश किया गया जो विचाराधीन है इसी प्रकार अपीलाण्ट की खातेदारी व भूमि निरस्त करवाने हेतु ग्रामवासियों ने रीट सं0 1740 सन 1998 उच्च न्यायलाय जोधपुर मे पेश की गई जो भी खारिज की गई है। वर्तमान अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को सुने बिना एक पक्षीय पारित किया गया है। उपरोक्त तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर का

Lano
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को धारा 177 के बिन्दू पर सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)